न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1043/2024

अनवान : –

1. अमर पाल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र बाबु सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. वीरपाल कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. बेअन्त कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. गुरजीत कौर पुत्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. बलजीत कौर पुत्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि पूर्व में वादी के दादा बाबूसिंह के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि विरासतन उनके पुत्र व पुत्रीयों पर औद हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में 1296/2155 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक 859/4310 हिस्सा भूमि दर्ज हुई।

उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्से का परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 0.859 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.296 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलि[illegible] है।

अतः वादी का वाद डि[illegible] वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे [illegible]र्ड में दर्ज करवा [illegible] अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्से का परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 0.859 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.296 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1296/2155 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 प्रत्येक 859/4310 हिस्सा दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहिने है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो की वादी की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्से का परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में वादी अकेला 0.859 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.296 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि में वादी को 0.859 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1.296 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1043/2024

अनवान : –

1. अमर पाल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र बाबु सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. वीरपाल कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. बेअन्त कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. गुरजीत कौर पुत्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. बलजीत कौर पुत्री बाबू सिंह जाति जटसिख निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1043 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 1028/8 की कुल 2.1550 हैक्ट भूमि में वादी को 0.859 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1.296 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested